भारत का विधि आयोग

इक्यानवीं रिपोर्ट

सत्यमेव जयते

दहेज संबंधी मृत्यु और विधि में सुधार

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955,

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, और

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

में संशोधन करने

के विषय में

10 अगस्त, 1983

विषय-वस्तु

	पृष्ठ
अध्याय 1—प्रस्तावना	1
अध्याय 2—दहेज सम्बन्धी मृत्युओं के तथ्यात्मक घटक और साक्ष्य विधि पर उनका प्रभाव	3
अध्याय 3—दहेज सम्बन्धी मृत्यु और मूल आपराधिक विधि	6
अध्याय 4—दहेज और विवाह-विच्छेद की विधि	7
अध्याय 5—निष्कर्ष तथा सिफारिशों का सारांश	10

349.542
M4,4

63478(5)
28-2-86

M/P(N)863MofLJ&CA—1

अध्याय 1

प्रस्तावना

दहेज संबंधी मृत्यु।

1.1. पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने में आई है जिनमें विवाहित स्त्रियों की मृत्यु बहुत अधिक सन्देहास्पद परिस्थितियों में होती है। लोग इन मृत्युओं का संबंध दहेज से जोड़ते हैं और इसीलिए आमतौर पर इन्हें "दहेज सम्बन्धी मृत्यु" कहा जाता है। बहुधा इनका शिकार युवा (और ऐसी जिनका विवाह हाल ही में हुआ है) स्त्रियां होती हैं, इसलिए इनके लिए "वधू जलाने" जैसे पद का प्रयोग होने लगा है।

विधि में सुधार की आवश्यकता।

1.2. इस बात को कि इस प्रकार की मृत्युओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, दर्शित करने के लिए आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अनेक मृत्यु की सूचना भी नहीं मिलती है। जिनकी सूचना मिलती है वे ही समाज के सही ढंग से सोचने विचारने वाले व्यक्तियों को व्यथित कर देने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार की घटनाओं के और जितनी जल्दी-जल्दी ये घटित होती हैं उसके मूल में अनेक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। इन कारणों की जड़ें इतनी गहरी और अदृश्य हो सकती हैं कि उनका उपचार केवल विधि के सुधार से नहीं हो सकता है। फिर भी, विधि के कुछ ऐसे पहलुओं पर जो इन घटनाओं के प्रसंग में सुसंगत हैं, विचार करना उचित प्रतीत होता है।

अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण।

1.3. यदि दहेज सम्बन्धी मृत्यु की किसी घटना विशेष में तथ्य ऐसे हैं जिनसे विधि को ज्ञात किसी अपराध के विधिक तत्वों की पूर्ति होती है और यदि उन तथ्यों को अधिक कठिनाई के बिना साबित किया जा सकता है तो अपराधी को दण्डित करवाने के लिए वर्तमान आपराधिक विधि का सहारा लिया जा सकता है। किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें दो अड़चनें सामने आती हैं :—

(i) या तो तथ्य ऐसे होते हैं कि उनसे कोई अपराध पूरी तौर से गठित नहीं होता; अथवा

(ii) स्थिति की विशेषताएं ऐसी होती हैं कि उनसे ऐसे तथ्यों को जिनसे अपराध का किया जाना सीधे ही स्थापित होता हो, साबित करना कठिन हो जाता हैं।

ऊपर जिस पहली अड़चन का उल्लेख किया गया है उसका एक अच्छा उदाहरण उस स्थिति से मिलता है जिसमें कोई स्त्री अपने जीवन का अंत स्वयं अपने हाथों से करती है यद्यपि दुर्व्यवहार के कारण वह उसके लिए विवश होती है। देश की साधारण आपराधिक विधि द्वारा जिन विद्यमान निर्धारित परिस्थितियों को मान्यता प्राप्त है उनमें से किसी में भी यह स्थिति ठीक नहीं बैठेगी। इस का अपवाद केवल तब है जब कि उकसाने, प्रोत्साहन या किसी ऐसे अन्य आचरण का जो आत्महत्या के "दुष्प्रेरण" की कोटि में आता है, निश्चित सबूत हो। यद्यपि, समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार, निचले न्यायालयों के ऐसे निर्णय हुए हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उनमें इस प्रसंग में "दुष्प्रेरण" का व्यापक अर्थ लगाया गया है तथापि स्थिति सन्देह से परे नहीं है।

ऊपर उल्लिखित दूसरी अड़चन का उदाहरण उन घटनाओं से मिलता है जिनमें यद्यपि उसकी परिस्थितियों से इस बात के सन्देह को बल मिलता है कि मृत्यु दुर्घटनावश नहीं हुई थी तथापि उचित सन्देह से परे इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि वह मामला वास्तव में मानववध का मामला है। अतः मूल आपराधिक विधि और साक्ष्य विधि दोनों ही पर विचार करने की आवश्यकता है।

साक्ष्य विधि।

1.4. जहां तक साक्ष्य विधि का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि जहां एक तथ्य और दूसरे तथ्य के बीच की खाई इतनी चौड़ी होती है कि उसे साक्ष्य से सामान्य नियमों के सहारे पार नहीं किया जा सकता है वहां विधि उस खाई को पाटने के लिए प्रायः जिस युक्ति को आजमाती है वह है उपधारणा की युक्ति। इस अर्थ में, इस प्रश्न पर विचार करना संभव है कि चर्चित विषय पर, विधि में ऐसी कोई उपधारणा जोड़ी जानी चाहिए जिससे विवादग्रस्त तथ्यों को साबित करना कम कठिन हो जाए।

मूल आपराधिक विधि ।

1.5. मूल आपराधिक विधि पर विचार करें तो स्थिति यह है कि यदि ऐसी विधि म कोई कमी पाई जाती है तो उसकी पूर्ति केवल एक नए अपराध के सृजन से की जा सकती है । ऐसा करने से पूर्व, बुद्धिमान विधि निर्माता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनेक पहलुओं पर जिनके अंतर्गत आचारशास्त्र के अर्थभेद, निरन्तर बदलता रहने वाला जनमत, विधि को लागू करने की आवश्यकताएं तथा व्यवहारिक वास्तविकताएं भी हैं, विचार करें ।

इस विषय पर विचार करने का महत्व ।

1.6. इस विषय पर हमने अपनी सिफारिशें तैयार करने में, पक्ष और विपक्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा है । इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु सामाजिक न्याय की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण तथा मानव गरिमा की रक्षा और समाज के सदस्यों की संरक्षा के लिए इतनी अत्यावश्यक है कि उन सुसंगत विधिक पहलुओं के जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, विवेचन पर जो समय और श्रम लगा है उसे व्यर्थ नहीं कहा जा सकता है ।

निवारक उपायों की परम आवश्यकता ।

1.7. इस प्रक्रम पर हम यह भी बता देना चाहेंगे कि ऐसे आचरण द्वारा जिनके परिणामस्वरूप दहेज सम्बन्धी मृत्यु होती है, गठित अपराधों का पता लगाना, उनका अन्वेषण और उनको दण्डित करना निश्चय ही महत्वपूर्ण विषय हैं किन्तु प्रभावकारी निवारक विधान पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता और भी अधिक है । परिवार में दुःख की स्थिति विधि की सीमा और क्षमता से परे है किन्तु विधि ऐसे विधिक उपाय उपलब्ध कर सकती है जिनके सहारे ऐसी परिस्थितियों में से जिनकी परिणति परिवार में दुःखद घटनाओं के रूप में होती है, बचा जा सकता है या जो उनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं । जहां दुःखद घटना के पीछे मनुष्य का हाथ होता है वहां विधि को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए । उत्साही विधि सुधारक ऐसे उपाय सोच सकता है जो बहुत देर होने से पहले ही, किसी पीड़ित व्यक्ति को खतरनाक स्थिति से बच निकलने के काम को आसान बना सकते हैं । दूसरे शब्दों में विधि सुधारक को इस बात पर मनन करना चाहिए कि आरंभ में ही, जब परिस्थिति नियंत्रण में होती है, बहुत अधिक तनाव और दुःख की लम्बे समय तक बनी रहने वाली स्थितियों के पैदा होने को विधि किस प्रकार रोक सकती है । इसी भावना से हमने इस समस्या पर विचार किया है और इसीलिए हम उन निवारक उपायों को, जिनकी हम इस रिपोर्ट में सिफारिश करने जा रहे हैं, बहुत अधिक महत्व देते हैं ।

पता लगाने की कठिनाई ।

1.8. जिन्होंने अपराध और उसकी घटनाओं का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि एक बार गंभीर अपराध के हो जाने पर उसका पता लगाना कठिन बात होती है तथा अपराधी पर मुकद्दमा चला कर उसे दंडित करवाना और भी कठिन होता है । दहेज संबंधी मृत्यु के जिम्मेदार अपराध निरपवादरूप से मकानों की सुरक्षित सीमाओं के भीतर किए जाते हैं । अपराधी व्यक्ति परिवार का ही कोई सदस्य होता है । परिवार के अन्य सदस्य (जो उसी मकान में रहते हैं) या तो उस अपराध में सहयुक्त होते हैं या फिर उसके मूक किन्तु मौनानुकूल साक्षी होते हैं । परिवार के बंधन इतने मजबूत होते हैं कि इस बात की संभावना होती है कि सही बात सामने न आ पाए । परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति उस अपराध का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं होगा ।

सुधार का सुझाव ।

1.9. प्रायिक रूप से होने वाली "दहेज संबंधी मृत्यु" की इन परिस्थितियों को देखते हुए यह स्वीकार करना होगा कि ऐसे विशिष्ट मामले में भी जिसमें नैतिक दृष्टि से यह निश्चित है कि हत्या के कारण मृत्यु हुई है, परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो सकती हैं कि सही बात का शीघ्र ही अथवा आसानी से पता न चल सके । वर्तमान विधि की परिधि के भीतर जो दंडात्मक उपाय किए जा सकते हैं उनका औपचारिक स्वरूप पर्याप्त हो सकता है किन्तु उन्हें कारगर रूप से लागू करना कठिन बात है । इसीलिए दण्डात्मक उपायों के साथ समुचित निवारक उपायों को जोड़ने की भी आवश्यकता है । इस विषय में क्या कुछ किया जा सकता है इस बारे में इस रिपोर्ट में कुछ संतुलित सुझाव देने का प्रयास किया गया है । यह संभव है कि इस रिपोर्ट में जिन उपायों की सिफारिश की गई है उन्हें कुछ व्यक्ति बहुत नरम समझें अथवा कुछ अन्य व्यक्ति उन्हें उग्र समझें । किन्तु आशा है कि इस विचार-विमर्श से इस विषय पर चिन्तन को कम से कम एक नई दिशा तो मिल सकेगी । कुछ प्रभावकारी निवारक उपायों की, उनकी अंतर्वस्तु और उनका अभिप्राय: चाहे कुछ भी हो, तत्काल आवश्यकता है । यदि शीघ्र ही ऐसा न किया गया तो इस बात का गंभीर खतरा है कि बहू-जलाने की समस्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब कि दो संभावनाओं में से कोई एक वास्तविक हो जाएगी अर्थात् या तो कोई ठोस समाधान निकलने के लिए उत्साह नहीं रह जाएगा या फिर ऐसे उपाय अपनाए जाएंगे जो समस्या

से भी बदतर होंगे। इसलिए "वहू जलाने" या "दहेज संबंधी मृत्युओं" को रोकने के लिए कुछ ठोस निवारक उपायों की आवश्यकता है। उक्त दोनों ही अभिव्यक्तियां बहुत अच्छी नहीं हैं। इनमें से एक तो गलत भी है क्योंकि जो स्त्री जलाई जाती है वह उस समय "वहू" नहीं रह जाती है। विशुद्धवादी भाषाविद् इन दोनों अभिव्यक्तियों से संतुष्ट नहीं होगा। तथापि, इस समय हमारा सरोकार भाषा की शुद्धता में नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता से है।

अध्याय 2

दहेज संबंधी मृत्युओं के तथ्यात्मक घटक और साक्ष्य विधि पर उनका प्रभाव

2.1. आइए, हम सर्वप्रथम "दहेज संबंधी मृत्यु" के तथ्यात्मक घटकों की समीक्षा करें। इन घटकों का निम्नलिखित विश्लेषण प्रारंभिक सा प्रतीत हो सकता है किन्तु यह इस विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्ति को समझने के लिए आधारभूत है :— तथ्यात्मक घटक।

(i) **लिंग**—दहेज संबंधी मृत्यु के मामले में सदैव स्त्री की मृत्यु होती है।

(ii) **आयु**—ऐसी स्त्री की आयु अधिकांशतः बीस और तीस वर्ष के भीतर होती है।

(iii) **प्रास्थिति**—वह विवाहिता स्त्री होती है जो पूर्णतः अपने पति या उसके नातेदारों की आश्रिता होती है। अनेक मामलों में वह मां बन चुकती है या बनने वाली होती है।

(iv) **मृत्यु का ढंग**—अधिकतर मामलों में मृत्यु आग में स्त्री के जलने के कारण होती है यद्यपि कुछ ऐसे मामलों का भी पता चला है जिनमें मृत्यु चोट लगने या जहर दिए जाने के कारण हुई है।

(v) **स्थिति**—दहेज की मांग के कारण स्त्री अत्यंत दुःखी होती है। दहेज की मांग के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में छोड़कर उसके दुःख का अन्य कोई कारण नहीं होता है। इस प्रकार की मांग बार-बार और पक्के इरादे से की जाती है और वे बहुत भारी होती है।

(vi) **कार्य का स्वरूप**—आरंभ में, दहेज संबंधी मृत्यु का मामला दुर्घटना या आत्महत्या के मामले के रूप में बताया जाता है (और वह उसी रूप में लेखबद्ध भी किया जाता है)। मानव हत्या की बात पर परदा डाल दिया जाता है और बहुत आनाकानी के बाद तथा काफी समझाने-बुझाने के बाद ही सचाई सामने आती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस स्थिति के लिए आवश्यक रूप से पुलिस या अन्य प्रवर्तन प्राधिकारी दोषी है। विभिन्न कारणों से विधि को लागू करने में साधारणतया जो दृष्टिकोण होता है वह किसी ठोस सबूत के अभाव में जल्दबाजी में, मानववध के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने का दृष्टिकोण है। दहेज संबंधी मृत्यु के मामलों में, ऐसा ठोस सबूत आसानी से उपलभ्य नहीं होता है।

(vii) **स्थान**—ऐसी मृत्यु अधिकतर मकान के भीतर होती है। "दुर्घटना" की शिकार स्त्री की मृत्यु सदैव बन्द कमरे में होती है।

(viii) **रिपोर्ट लिखाना**—जहां पुलिस को मृत्यु की रिपोर्ट पति या उसके नातेदारों द्वारा लिखाई जाती है वहां यह कहा जाता है कि मृत्यु आत्महत्या द्वारा हुई है किन्तु जहां उसकी रिपोर्ट संबंधित स्त्री के अपने माता-पिता या नातेदारों द्वारा लिखाई जाती है वहां मानव हत्या का सन्देह प्रकट किया जाता है।

अनेक अन्य ध्यान देने योग्य बातें भी हैं किन्तु वर्तमान चर्चा में हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे।

2.2. दहेज संबंधी मृत्यु के जिन पहलुओं की चर्चा ऊपर की गई है वे काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तीन बातें[1] (मरने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग और प्रास्थिति) से यह दर्शित होता है कि हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की घटना होती है जो या इतना कमजोर है कि वह प्रतिरोध नहीं कर सकता है या फिर वह इतना कमजोर बन गया है। प्रतिरोध की इच्छा और शक्ति, निरन्तर मांग के कारण बहुत हद तक समाप्त हो गई है। इस पहलू का विशेष उल्लेख विशेष परिस्थितियों में मृत्यु के कारण के बारे में उपधारणा करने के सुझाव को (जो इस रिपोर्ट में आगे के पैराओं में किया जाएगा)[2] रिपोर्ट सिद्ध करने के लिए यहां किया गया है। **प्रथम तीन तथ्यात्मक घटकों के संबंध में टिप्पणियां।**

---

1. पूर्वगामी पैरा 2.1।
2. आगामी पैरा 2.4 और 2.6 देखिए।

ऊपर जिन बातों का उल्लेख किया जा चुका है उनका सारांश यह है कि दहेज संबंधी मृत्यु के अनेक उल्लेखनीय तथ्यात्मक घटक होते हैं। प्रत्येक मामले में तथाकथित दुर्घटना की शिकार युवा और विवाहिता स्त्री होती है जो अपने पति या सास-श्वसुर पर आश्रित होती है। उसके सास-श्वसुर का जो कष्टदायक आचरण होता है उसके कारण उसमें जीने की लालसा धीरे-धीरे मन्द पड़ जाती है। भारी तनाव का वातावरण बन जाता है। इन बातों से प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि ऐसे मामले, जो नियमित रूप से, बार-बार और एकरस एकरूपता के साथ घटित होते हैं, मानव द्वारा किए गए किसी कार्य के न कि दैवकृत के परिणामस्वरूप होते हैं।

चौथा तथ्यात्मक घटक। 2.3. ऊपर वर्णित चौथा तथ्यात्मक घटक—मृत्यु का ढंग—तत्प्रतिकूल साबित न हो जाने तक इस उपधारणा को न्यायोचित ठहराने के लिए कि मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई है, इससे पूर्व के पैरा[1] में प्रस्तुत तर्क की पुष्टि करता है।

साक्ष्य विधि में संशोधन की सिफारिश। 2.4. इस विषय के अनेक पहलुओं की समीक्षा करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और हम यह सिफारिश करते हैं कि निम्नलिखित स्वरूप की एक उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1982 में जोड़ी जानी चाहिए :—

"जहां—

(क) किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के पांच वर्ष के भीतर उस घर में जिसमें वह और उसका पति उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व एक साथ निवास करते थे, जलने के या होने वाली क्षतियों के कारण अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य कारण से होती है, और

(ख) मृत्यु बन्द कमरे में होती है, वहां यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह मृत्यु दुर्घटनावश नहीं हुई थी"।

उपयोगिता। 2.5. प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि इस उपबंध की उपयोगिता इस बात में है कि वह मामला ऐसा मामला हो जाता है जिसमें मृत्यु के कारण के बारे में पुलिस द्वारा अन्वेषण या मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु-समीक्षा की आवश्यकता दृढ़ हो जाती है।

पांचवां तथ्यात्मक घटक। 2.6. इस आशय की एक उपधारणा से भी (जिसकी सिफारिश ऊपर की गई है)[2] कि विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु दुर्घटनावश हुई मृत्यु नहीं है, आत्महत्या और मानव वध के बीच की गुत्थी नहीं सुलझेगी। अब हम दहेज संबंधी मृत्यु के पांचवें तथ्यात्मक घटक[3] पर अर्थात् त्रासदी के शिकार व्यक्ति की दशा पर विचार करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि स्त्री के दुःख का कोई अन्य कारण जैसे. कि खराब स्वास्थ्य, किसी बड़े प्रयास में असफलता, अति निकट नातेदारों की मृत्यु, गंभीर आर्थिक कठिनाई या इसी प्रकार का कोई अन्य कारण नहीं होता है।

यह मानकर कि मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई थी और उसके लिए विवशता भारी दुःख के कारण जीवन से ऊब जाने की भावना है, यह कहा जा सकता है कि स्त्री के दुःख का कारण दहेज की मांग को छोड़ कर उसके जीवन का अन्य कोई पक्ष नहीं है। इस तर्क के आधार पर, यह उचित उपधारणा की जा सकती है कि उसकी मृत्यु का बड़ा कारण दहेज की मांग होता है। किसी विशिष्ट मामले में घटनाचक्र वस्तुतः क्या था यह बात तो फिर भी अनिश्चित रहेगी। हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि कोई मामला आत्महत्या का मामला है या मानव वध का मामला है किन्तु यह उपधारणा करने का आधार है कि वह इन में से किसी एक प्रकार का मामला अवश्य है। इसके अतिरिक्त, परिस्थितियों को देखते हुए, यह उपधारणा करने का आधार है कि दहेज की मांग ने जिसे स्त्री पूरा नहीं कर सकी, उसे अंत में स्वयं अपने जीवन का अंत करने के लिए बाध्य किया या उसने उसके पति के परिवार के सदस्यों को उसकी हत्या करने के लिए उकसाया।

---

1. पूर्वगामी पैरा 2.2।
2. पूर्वगामी पैरा 2.4।
3. पूर्वगामी पैरा 2.1।

2.7. इससे पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित बात से विधि में दो उपबन्धों का जोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है :—

साक्ष्य अधिनियम में एक अन्य संशोधन की सिफारिश ।

(i) साक्ष्य अधिनियम में जोड़े जाने के लिए जिस उपधारणा की सिफारिश की जा चुकी है[1] उसके अतिरिक्त उसी अधिनियम में एक अन्य उपधारणा भी जोड़ी जानी चाहिए, अर्थात् :—

"जहां किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के पांच वर्ष के भीतर उस घर में जिसमें वह और उसका पति उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व एक साथ निवास करते थे, जलने के या होने वाली क्षतियों के कारण अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य कारण से होती है और इस बात की विश्वसनीय जानकारी है कि उस स्त्री से या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों से दहेज की मांग बारबार की गई थी तो यह उपधारणा की जा सकेगी कि उसकी मृत्यु[2], —

(क) या तो आत्महत्या के कारण हुई है जिसके लिए वह — दहेज की इस प्रकार बार-बार की गई मांगों के कारण विवश हुई थी, या

(ख) मानव वध के कारण हुई है।"

नए जोड़े गए उपबंधों के प्रयोजन के लिए "दहेज" की परिभाषा निम्नलिखित होगी :—

' "दहेज" से अभिप्रेत है धन या धन के रूप में प्राक्कलनीय अन्य वस्तु जिसकी मांग पत्नी या उसके माता-पिता अथवा अन्य नातेदारों से पति या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों द्वारा की गई हो और जहां ऐसी मांग वैध रूप से मान्य किसी दावे से उचित रूप से जुड़ी नहीं है और उसका संबंध केवल इस बात से है कि उस पत्नी ने पति के कुटुम्ब में विवाह किया है।'

(ii) द्वितीयतः, दहेज की बार-बार मांगों के संबंध में यह मान लेना उचित होगा कि वे विवाह संबंधी विधान के अर्थान्तर्गत "क्रूरता" की कोटि में आती हैं। इस विषय में आगे चल कर विस्तार से चर्चा की जाएगी जब हम विवाह-विच्छेद के प्रश्न पर आएंगे[3]।

छठा तत्त्व–कार्य की प्रकृति।

2.8. ऊपर वर्णित छठे तत्त्व[4] का संबंध कार्य की प्रकृति (दुर्घटना, आत्महत्या, मानव वध) से है। इसका पता चलना सबसे अधिक कठिन बात है। प्रसंगतः कठिनाई उस स्थान के कारण बढ़ जाती है जहां मृत्यु घटित होती है (सातवां तथ्यात्मक घटक)। इस रिपोर्ट में आगे चलकर कुछ सिफारिशें करने का प्रस्ताव है, जिनसे यह कठिनाई कुछ हद तक कम हो सकती है।

सातवां तथ्यात्मक घटक–स्थान।

2.9. दहेज संबंधी मृत्यु का सातवां तथ्यात्मक घटक, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है,[4] मृत्यु के स्थान से संबंधित है। दहेज संबंधी मृत्यु सदैव बन्द कमरे में होती है। स्पष्ट है कि इससे मृत्यु का कारण पता लगाना कठिन हो जाता है। अतः बहुत थोड़े उपलब्ध साक्ष्य के कारण, मृत्यु के कारण का सबूत

---

1. पूर्वगामी पैरा 2.4।
2. इस दशा में यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु बन्द कमरे में हुई हो।
3. आगामी अध्याय 4।
4. पूर्वगामी पैरा 2.1।

जुटाना बहुत कठिन काम हो जाता है । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मृत्यु के कारण के बारे में कोई विधिक उपधारणा उचित कारण से अन्यथा न्यायोचित है, तो उससे इस संबंध में सहायता मिल सकती है। अतः इससे, वहां जहां कोई दहेज संबंधी मृत्यु होती है, कुछ उपधारणाएं जोड़ने की बात के समर्थन में ऊपर बताए गए कारणों की पुष्टि होती है ।[1]

आठवां तथ्यात्मक घटक-रिपोर्ट लिखाना ।

2.10. दहेज संबंधी किसी मृत्यु का आठवें तथ्यात्मक घटक[2] का संबंध उस मृत्यु की रिपोर्ट लिखाने से है। हम इसकी चर्चा अगले अध्याय[3] में करेंगे ।

अध्याय 3

दहेज संबंधी मृत्यु और मूल आपराधिक विधि

आठवां घटक—रिपोर्ट लिखाना।

3.1. आठवां और अंतिम घटक, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, स्त्री के निकट संबंधियों द्वारा रिपोर्ट लिखाने—या यूं कहिए कि रिपोर्ट लिखाने में असफलता के संबंध में है। विधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक उपबंध पहले से ही है जिसमें कुछ गंभीर अपराधों के किए जाने की जानकारी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना दे ।[4] उप उपबन्ध में विनिर्दिष्ट अपराधों के अन्तर्गत (और जहां तक तात्विक है) हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध[5] भी है। किन्तु उस उपबन्ध की भाषा इतनी व्यापक नहीं है कि उसके अन्तर्गत ऐसी मृत्युएं भी आ जाएं जो ऊपर से, दुर्घटनावश हुई दिखती हैं, इस उपबन्ध के आधार पर, कोई भी व्यक्ति किसी मामले की रिपोर्ट तभी लिखाने के लिए आबद्ध है जब कि उसे हत्या अथवा हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के किए जाने की जानकारी हो । यदि मृत्यु हत्या या आपराधिक मानव वध के कारण नहीं हुई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने की जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती है।

रिपोर्ट लिखाने की बाध्यता के बारे में सिफारिश ।

3.2. ऐसी परिस्थिति में, दहेज संबंधी मृत्युओं की बढ़ती हुई घटनाओं के संदर्भ में, विधि में सुधार की गुंजाइश है । सुझाव यह नहीं है कि स्त्री की मृत्यु की रिपोर्ट पुलिस के पास लिखाने की बाध्यता प्रत्येक मामले में अधिरोपित की जाए। विधि में जो कुछ जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जाना चाहिए वह एक सीमित स्वरूप का उपबंध है जो दहेज संबंधी मृत्युओं की तत्परता से रिपोर्ट लिखाए जाने के हित में न्यायोचित प्रतीत होगा। यह उपबंध निम्नलिखित आशय का हो सकता है :

जहां किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के पांच वर्ष के भीतर उस घर में जिसमें वह और उसका पति उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व एक साथ निवास करते थे, जलने के या होने वाली क्षतियों के कारण अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य कारण से होती है और उसका पति इस बात की जानकारी होने पर कि उसकी पत्नी की इस प्रकार मृत्यु हुई है, उचित समय के भीतर निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को उसकी मृत्यु के बारे में सूचना नहीं देता है वहां पति, उचित कारण के (जिसे साबित करने का भार उस पर होगा) अभाव में, ऐसे अपराध का दोषी होगा जो तीन वर्ष से अनधिक कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यह उपबंध भारतीय दंड संहिता में समुचित रूप से जोड़ा जा सकता है[6] ।

---

1. पूर्वगामी पैरा 2.4, 2.6 और 2.7 ।
2. पूर्वगामी पैरा 2.1 ।
3. आगामी अध्याय 3 ।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 39 ।
5. भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 303 और 304 ।
6. भारतीय दंड संहिता में जोड़ा जाने वाला उपबंध ।

ऐसी निरंतर क्रूरता को जिसके कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए विवश होता है, दंडित करने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता में संशोधन की सिफारिश।

3. 3. ऐसी आत्महत्याओं के संबंध में जो परिवार में होने वाले दुर्व्यवहार के कारण होती हैं, प्रभावकारी रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, किसी भी व्यक्ति के ऐसे निरंतर क्रूर आचरण को जिसके कारण उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई अन्य सदस्य आत्महत्या कर लेता है, दंडित करना भी आवश्यक है। वस्तुतः विधि आयोग ने ऐसी एक सिफारिश[1] काफी समय पूर्व, भारतीय दंड संहिता पर अपनी रिपोर्ट[2] में की थी। उस सिफारिश को अभी लागू किया जाना है। यह विषय अब बहुत आवश्यक हो गया है। नई धारा निम्नलिखित रूप में हो सकती है :—

"जो कोई क्रूरता के निरन्तर कार्यों द्वारा अपने साथ रहने वाले अपने परिवार के किसी सदस्य को आत्महत्या करने के लिए विवश करता है, उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

निस्संदेह, यह एक सामान्य उपबन्ध होगा जिसके अन्तर्गत क्रूरता द्वारा प्रेरित सभी आत्महत्याएं आएंगी। इसके अतिरिक्त विधि में इस बात का स्पष्ट उपबंध होना चाहिए कि दहेज के लिए निरंतर मांगें, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता के निरंतर कार्यों" की कोटि में आएंगी।

उपर्युक्त नए उपबंध के प्रयोजन के लिए "दहेज" की परिभाषा निम्नलिखित होगी :—

" 'दहेज' से अभिप्रेत है ऐसा धन या धन के रूप में प्राक्कलनीय अन्य वस्तु जिसकी मांग पत्नी या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों द्वारा की गई है और जहां ऐसी मांग किसी विधितः मान्य दावे से उचित रूप से संबंधित नहीं है और उसका संबंध पत्नी द्वारा पति के परिवार में विवाह किए जाने से ही है।"

अध्याय 4

दहेज और विवाह-विच्छेद की विधि

विवाह विच्छेद की विधि का संशोधन।

4. 1. इस रिपोर्ट के पूर्वगामी अध्यायों में जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उनका संबंध आपराधिक विधि और उसकी परिधि से है। जब दहेज संबंधी कोई मृत्यु घटित होती है तब यदि उस मामले में कोई आपराधिक तत्व हो तो अन्वेषण और अभियोजन को सुकर बनाने के लिए परिकल्पित उपबंध अंतःस्थापित करने की निश्चय ही आवश्यकता होती है। किन्तु ज्यादा जरूरी आवश्यकता ऐसे प्रभावकारी उपायों की है जिनका उद्देश्य समाज में ऐसी स्थितियों के फिर से घटित होने को रोकना है जिनकी परिणति दहेज संबंधी मृत्युओं में होती है चाहे ऐसी मृत्यु आत्महत्या के अथवा हत्या के परिणाम स्वरूप हों। ध्यान से देखें तो दहेज संबंधी मृत्युएं इसलिए होती हैं कि पति के परिवार में स्त्री के नातेदार दहेज की बार-बार और दृढ़ता के साथ मांग करते हैं। स्त्री के मन में इससे गंभीर तनाव पैदा हो जाता है। यह तनाव धीरे-धीरे बनता है। अंततोगत्वा ऐसी स्थिति आ जाती है जब स्त्री के सामने आत्महत्या के सिवाय उससे बच पाने का कोई उपाय नहीं रहता है। माता-पिता के घर लौटना उसके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। यद्यपि अस्थायी रूप से कभी-कभी इस बात का सहारा लिया जाता है। मृत्यु, स्त्री के लिए अंतिम आश्रय हो जाती है। स्त्री के मन में धीरे-धीरे तनाव बनते रहने के साथ कभी-कभी स्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें धन की लालच, प्रतिरोध के कारण उत्पन्न आक्रमणशीलता और वह सरलता जिससे स्त्री का शोषण किया जा सकता है। इन सब बातों की परिणति स्त्री की जीवनलीला समाप्त करने की इच्छा में होती है। यह कोई आकस्मिक या आवेश में किया गया कार्य नहीं होता है। यह तो वह अंतिम महाविपत्ति होती है जिसमें उस प्रत्येक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण का योगदान होता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। नाट्यशास्त्र के विद्यार्थी जीवन के वास्तविक नाटक और त्रासदी के तत्वों के शास्त्रीय प्रदर्शन के बीच समानता देख सकते हैं। मंद आरोहण, संकट-स्थिति, महा-विपत्ति और समाप्ति, ये सभी तत्व इसमें भी मौजूद होते हैं।

यहां इस पहलू पर बल देने का उद्देश्य उस सुधार की, जिसकी चर्चा अगले वाक्य में की जाएगी, सिफारिश को प्रमाणित करना है। संक्षेप में, हमारी सिफारिश यह है कि विवाह-विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण मंजूर करने की विधि में यह विनिर्दिष्ट उपबंध करके सुधार किया जाना चाहिए कि दहेज

1. भारत का विधि आयोग, 42वीं रिपोर्ट (भारतीय दण्ड संहिता) पृष्ठ 245, पैरा 16. 35 ।

2. यह भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में है।

की बार-बार मांग के बारे में यह समझा जाएगा कि क्रूरता के शीर्ष के अन्तर्गत वैवाहिक राहत देने के प्रयोजन के लिए, उसमें क्रूरता गठित होती है। हमारे विचार से ऐसे आचरण को क्रूरता मानना सर्वथा न्यायोचित दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त, यही एकमात्र ऐसा व्यावहारिक विधिक सुधार है जो स्त्री को, यदि वह चाहे तो, ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने में समर्थ बनाएगा जिसमें उसके जीवन के लिए संकट छुपा होता है।

तथ्यात्मक स्थितियों के प्रभेद।

4. 2. निस्संदेह, ऐसे प्रत्येक मामले की जिसमें विवाह के पश्चात् दहेज की मांग की जाती है, परिणति अनिवार्य रूप से, "दहेज संबंधी मृत्यु" में नहीं होती है। किन्तु यदि हाल में हुई घटनाओं से कोई संकेत मिलता है तो वह यह है कि ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें दहेज की मांग बराबर की जाती है। स्त्री को कम से कम इस बात से सावधान हो जाना चाहिए कि वह संकटपूर्ण स्थिति का रूप ले सकता है। ऐसी परिस्थिति में दहेज संबंधी मृत्यु (चाहे वह आत्महत्या से या हत्या से हो) की संभावना इतनी दूर की बात या काल्पनिक नहीं है कि विधि द्वारा उसकी उपेक्षा की जाए। दूसरे शब्दों में, खतरा वास्तविक होता है, न कि काल्पनिक और उससे बहुत गंभीर स्वरूप का नुकसान हो सकता है, इसलिए विधि के लिए यह उचित है कि वह एक ऐसा उपचार निकाले जो स्थिति के और बिगड़ने को, जिसका परिणाम दुःखद होने की बहुत संभावना है, रोकने में ठोस रूप से मदद कर सके।

यह सच है कि ऐसे प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी, विवाह-विच्छेद के पक्ष में हो। किन्तु विधि तो उपचार का उपबंध ही कर सकती है। कोई स्त्री किस प्रक्रम पर न्यायालय में जाने की बात सोचने लगेगी यह तो उसी को तय करना है। यदि दबी जबान से यह सुझाव दिया जाता है कि पत्नी के माता-पिता द्वारा कुछ धन दे दिया जाए तो उससे विवाह-विच्छेद का विचार उत्पन्न नहीं होगा। यदि मांग बार-बार दुहराई जाती है तो उससे बहुत नहीं बल्कि कुछ स्त्रियों के मन में विवाह-विच्छेद की बात उठ सकती है। बहुत कुछ स्त्री की भावुकता पर और अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है। किन्तु जहां मांग बार-बार की जाने लगती है वहां स्त्री को सतर्क हो जाना चाहिए और उसे अपने भावी कार्यक्रम के बारे में यथासमय फैसला कर लेना चाहिए। उसे यह फैसला कर लेना चाहिए कि क्या वह तनाव की स्थिति में बनी रहना चाहेगी जिसका अंतिम परिणाम दुःखद हो सकता है, अथवा वह सदा के लिए ऐसी स्थिति से छुटकारा पाना पसंद करेगी। किसी भी स्त्री के लिए किसी भी आधार पर विवाह-विच्छेद प्राप्त करने का विनिश्चय महत्वपूर्ण विनिश्चय होता है जो कभी-कभी बहुत पीड़ादायक और सदैव बहुत कठिन होता है। इस कठिनाई के होते हुए भी, विधि के ढांचे में जीवन की कटु वास्तविकताओं को ध्यान में रख कर स्त्री को ऐसा समुचित और प्रभावकारी उपचार उपलब्ध करना होगा जो उसे, इससे पूर्व कि बहुत देर हो जाए, अपने जीवन को नए ढांचे में ढालने के योग्य बनाएगा।

जीवन की समस्या की तुलना में विवाह का स्थायित्व।

4. 3. हमारी सिफारिश का तात्पर्य विवाह-विच्छेद को कुछ हद तक उदार बनाना है। हमें ज्ञात है किसी भी समाज में विवाह-विच्छेद की विधि को तब तक उदार बनाने का कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रस्तावित कदम के लिए सशक्त और ठोस कारण न हों। केवल विवाह-विच्छेद से परिवार की सामाजिक बुराइयों का अंत नहीं होता है। इससे पति-पत्नी, जो पृथक हो गए हैं, के भावनात्मक सुख में कोई वृद्धि नहीं होती है। बच्चों के जीवन पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अधिकतर मामलों में इसका पत्नी पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है और इससे स्त्री के अभी तक अकलंकित चरित्र पर घृणा और निंदा का एक धूमिल आवरण अनेक वर्षों के लिए पड़ सकता है।

ध्यान में रखी जाने वाली बातें।

4. 4. विवाह-विच्छेद के आधारों को विधान बना कर व्यापक बनाने का विनिश्चय करने में संबंधित प्राधिकारियों को इन सभी बातों को स्वाभाविक रूप से महत्व देना चाहिए। किन्तु हम यह बता देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित स्थिति एक अत्यंत विशेष स्थिति है। दोनों पलड़ों में दो परस्पर विरोधी बातों को तोलना होगा। एक पलड़े में तो विवाह के स्थायित्व को रखा गया है और दूसरे में स्त्री के जीवित रहने की बात को रखा गया है। दहेज की बार-बार मांगों से साधारण स्त्री का मानसिक संतुलन अवश्य बिगड़ता है। हमें विश्वास है कि इतना तो कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति स्वीकार करेगा। किन्तु किस्सा यहीं नहीं समाप्त होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो अनुभव रहा है उससे दर्शित होता है कि ऐसी मांगों से एक ऐसी स्थिति सामने उमड़ कर आ जाती है जिसमें पत्नी या तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती है या फिर उसकी उन व्यक्तियों द्वारा (या उनकी प्रेरणा पर) हत्या कर दी जाती

है जो अधिकाधिक दहेज की मांग करने में "हितबद्ध" होते हैं। चाहे वह पत्नी का क्षोभ (जिसके परिणामस्वरूप वह आत्महत्या करती है) हो या कुछ व्यक्तियों की (उन्हें हत्या के लिए प्रेरित करने वाली) निर्लज्ज लालच हो, स्थिति ऐसी होती है जिसे रोका जाना चाहिए। हमारे विचार से वह पलड़ा जिसमें यह बात होती है, विवाह के स्थायित्व की आवश्यकता वाले पलड़े से भारी पड़ता है। निस्संदेह विवाह प्रथा की क्षणिक भावावेशों से अवश्य रक्षा की जानी चाहिए। ऐसे आवेश के क्षण शीघ्र ही छट जाने वाले बादलों के समान होते हैं। किन्तु दहेज की बार-बार मांग इनसे भिन्न होती है। उससे मानव प्रकृति का सबसे घृणित रूप दर्शित होता है और किसी भी स्त्री को उससे बराबर लड़ते रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में, निरन्तर भय के वातावरण में जीवित रहने की तुलना में विवाह-विच्छेद एक छोटी और हल्की बुराई है।

4.5. ऊपर जो चर्चा की गई है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सिफारिश है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की उन धाराओं में जो क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के मंजूर किए जाने के संबंध में हैं निम्नलिखित स्वरूप की एक व्याख्या जोड़ी जानी चाहिए।[1-2]

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955— "क्रूरता" संबंधित उपबंधों में संशोधन की सिफारिश।

"**व्याख्या**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दहेज की बार-बार मांगों को वहां पति का अपनी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाला ऐसा कार्य समझा जाएगा, जहां मांग पति द्वारा या उसकी मौनानुकूलता या उपमति से की जाती है"।

4.6. हमने ऊपर के पैरा में अपना ध्यान हिन्दू विवाह अधिनियम पर केन्द्रित रखा है। **सिद्धान्त रूप में**, विवाह संबंधी अन्य अधिनियमों में भी जो अन्य समुदायों के सदस्यों के बीच वैवाहिक संबंधों को शासित करते हैं, ऐसा ही उपबंध करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, इस विषय में कोई दृढ़ विनिश्चय करने से पूर्व इस प्रश्न का थोड़ा अध्ययन करना होगा कि क्या अन्य समुदायों में भी "दहेज संबंधी मृत्युओं" की कोई गंभीर समस्या विद्यमान है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, निस्संदेह, सभी विवाहों को, चाहे विवाह करने वाले व्यक्तियों का धर्म कुछ भी हो, लागू होता है **किन्तु** यह रिपोर्ट जिस विषय के संबंध में है वह विवाह पर या उसके संबंध में दहेज देने या लेने की परिपाटी के विनियमन का विषय नहीं है।[3] वह विषय तो, **विवाह के पश्चात् दहेज वसूल** करने की इच्छा के परिणामस्वरूप मृत्यु की विशिष्ट घटना है। विचाराधीन विषय पर, हिन्दू विवाह अधिनियम से भिन्न अधिनियमों में संशोधन करने का कोई दृढ़ निश्चय करने से पूर्व हमें यह अभिनिश्चित करना होगा कि क्या ऐसी स्थिति अन्य समुदायों में भी विद्यमान है।

क्या विवाह संबंधी अन्य अधिनियमों में भी संशोधन किया जाए।

4.7. हम यह भी बता देना चाहेंगे कि यदि यह साबित किया जा सके कि दहेज की बार-बार और अन्यायपूर्ण मांगों से पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है तो वे क्रूरता की कोटि में आ सकती हैं। किन्तु हम चाहेंगे कि इस विषय पर एक विनिर्दिष्ट उपबंध किया जाए जिससे कि सभी संविवादों और स्वास्थ्य को हुए नुकसान या ऐसे नुकसान की संभावना को साबित करने की आवश्यकता से बचा जा सके।

वर्तमान विधि क्या पर्याप्त है।

4.8. अब हम "दहेज" की परिभाषा के प्रश्न पर आते हैं जिसकी आवश्यकता इस रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के प्रयोजन के लिए हो सकती है। उपर्युक्त सिफारिशों के उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए तैयार की गई "दहेज" की परिभाषा को सम्मिलित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

वर्तमान सिफारिशों के प्रयोजन के लिए दहेज की परिभाषा के संबंध में सिफारिश।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दी गई परिभाषा में एक भिन्न समय बिन्दु का उल्लेख है। उसमें विवाह की घटना के साथ समकालीनता या उससे तुरंत संबंध पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट का जिन दुःखद घटनाओं से संबंध है उनके लिए, विवाह का संबंध, जिस ढंग से विवाहित जीवन व्यतीत

1. इसका संबंध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से है।
2. पूर्वगामी पैरा 2.7 (ii) भी देखिए।
3. आगामी पैरा 4.8 भी देखिए।
4. पूर्वगामी पैरा 4.4।

किया जाता है वह, विवाहोपरान्त के अनेक तथ्य जो स्त्री के जीवन में अकथनीय दुःख और दुर्दशा भर देते हैं, अधिक सुसंगत हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में मुख्य रूप से, विवाह करने के लिए कीमत के रूप में दहेज की मांग की जाने से होने वाली आर्थिक कठिनाई और सामाजिक अपकीर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके विपरीत, हमारी सिफारिशें उस शारीरिक पीड़ा और अपकीर्ति से संबंधित है जिसका सीधे ही स्त्री को अपने पति के परिवार में अपना जीवन यापन करने में सामना करना पड़ता है। यह रिपोर्ट कार्यकलाप की स्थिति, जारी रहने वाले कार्य के न कि किसी विशिष्ट समय बिन्दु पर की गई एक मांग के संबंध में है। इन दोनों स्थितियों में धन की लालच समान बात है। एक व्यक्ति के रूप में अपनी मानवीय गरिमा को बनाए रखने की हकदार स्त्री के लिए आदर का अभाव भी दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है किन्तु फिर भी जिस बात पर मुख्य रूप से बल दिया गया है उसमें बदलाव है। अब पत्नी को (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) इस बात की धमकी दी जाती है कि यदि दहेज की मांग पूरी नहीं होती है तो पत्नी के रूप में उसकी सामाजिक प्रस्थिति खतरे में पड़ जाएगी। यह धमकी पत्नी को दी जाती है और वह इसकी प्रत्यक्ष शिकार होती है। अन्ततोगत्वा इस धमकी की परिणति उसकी जीवन लीला की समाप्ति में होती है। स्थिति के इन अन्तरों को प्रभावकारी रूप में सम्मिलित करने के लिए, 1961 के अधिनियम में दी हुई दहेज की परिभाषा पर्याप्त नहीं होगी। वह परिभाषा वर्तमान संदर्भ में अवास्तविक होगी[1]।

"दहेज" की परिभाषा जिसकी सिफारिश की गई है।

4.9. अतः यह वांछनीय है कि "दहेज" की एक स्वयं पूर्ण परिभाषा अन्तःस्थापित की जाए जो उन सभी उपबन्धों को लागू की जानी चाहिए जो हमारी सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिनियमित किए जाएं (जहां कहीं इन उपबन्धों में "दहेज" शब्द आए) हम इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परिभाषा की सिफारिश करते हैं:—

> " 'दहेज' से अभिप्रेत है ऐसा धन या धन के रूप में प्राक्कलनीय अन्य वस्तु जिसकी मांग पत्नी या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों से, पति या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों द्वारा की गई है और जहां ऐसी मांग किसी विधितः मान्य दावे से उचित रूप से संबंधित नहीं है और उसका संबंध पत्नी द्वारा पति के परिवार में विवाह किए जाने से ही है।"

अध्याय 5

निष्कर्ष तथा सिफारिशों का सारांश

निष्कर्ष।

5.1. अन्त में, निष्कर्ष के रूप में हम यह कहना चाहेंगे कि ऊपर जो सिफारिशें की गई हैं उनसे "दहेज सम्बन्धी मृत्युएं" समाप्त नहीं होंगी। लोग आमतौर पर जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक गहरी जड़ें इस समस्या की हैं। विधि और उसका तंत्र मानव की धनलोलुपता दंभ और धन के प्रदर्शन की इच्छा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यदि समाज के कुछ वर्ग सुख को केवल धन के रूप में आंकते हैं तो विधि उसका कोई उपचार उपलब्ध करने में असमर्थ है। ऊपर जो सिफारिशें की गई हैं उनका मुख्य आशय:—

(i) कुछ ऐसे विधिक सुधार लागू करना है जो आगे चल कर घटित होने वाली घटनाओं से बचने के लिए समय से कार्यवाही करने को सुकर बनाएंगे, और

(ii) विधि के कुछ अन्य भागों को जो दहेज संबंधी मृत्युओं के कारणों का पता लगाने से संबंधित हैं, मजबूत बनाना और दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करना है।

सिफारिशों का सारांश।

5.2. सुविधा के लिए, हम इस रिपोर्ट में इससे पूर्व की गई सिफारिशों का सारांश नीचे दे रहे हैं:—

(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निम्नलिखित उपबन्ध अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए :—

"जहां—

---

1. पूर्वगामी पैरा 4.5 भी देखिए।

(क) किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के पांच वर्ष के भीतर उस घर में जिसमें वह और उसका पति उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व एक साथ निवास करते थे, जलने के या होने वाली क्षतियों के कारण अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य कारण से होती है, और

(ख) मृत्यु बन्द कमरे में होती है, वहां यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह मृत्यु दुर्घटनावश नहीं हुई थी।[1]"

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, निम्नलिखित आशय का एक अन्य उपबन्ध भी अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए[2] :—

"जहां किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के पांच वर्ष के भीतर उस घर में जिसमें वह और उसका पति उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व एक साथ निवास करते थे, जलने के या होने वाली क्षतियों के कारण अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य कारण से होती है और इस बात की विश्वसनीय जानकारी है कि उस स्त्री से या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों से दहेज की मांग बार-बार की गई थी तो यह उपधारणा की जा सकेगी कि उसकी मृत्यु या तो आत्महत्या के कारण हुई है जिसके लिए वह स्त्री दहेज की इस प्रकार बार-बार की गई मांगों के कारण विवश हुई थी, या मानववध के कारण हुई थी।"

(3) भारतीय दण्ड संहिता में एक उपबन्ध इस आशय का अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए कि जहां किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के पांच वर्ष के भीतर उस घर में जिसमें वह और उसका पति उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व एक साथ निवास करते थे, जलने के या होने वाली क्षतियों के कारण अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य कारण से होती है और उसका पति इस बात की जानकारी होने पर कि उसकी पत्नी की इस प्रकार मृत्यु हुई है, उचित समय के भीतर निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को उसकी मृत्यु के बारे में सूचना नहीं देता है वहां पति उचित कारण के (जिसे साबित करने का भार उस पर होगा) अभाव में ऐसे अपराध का दोषी होगा जो तीन वर्ष से अनधिक कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।[3]

(4) ऐसे व्यक्ति को जो क्रूरता के बार-बार किए गए कार्य द्वारा, परिवार के किसी सदस्य को जो उसके साथ रहता है आत्महत्या करने के लिए विवश करता है, दण्डित करने के लिए एक विनिर्दिष्ट धारा जोड़ी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस नए उपबन्ध में अभिव्यक्त रूप से यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि दहेज की बार-बार मांगें इस प्रयोजन के लिए, क्रूरता के बार-बार किए जाने वाले कार्यों की कोटि में आएगा। इसके लिए दण्ड दोनों में से किसी प्रकार का कारावास जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना होगा।[4]

(5) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का संशोधन यह उपबन्ध करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्रूरता के आधार पर वैवाहिक राहत के मंजूर किए जाने का उपबन्ध करने वाली इस अधिनियम की धाराओं के प्रयोजन के लिए, दहेज की बार-बार मांग को वहां पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाला पति का कार्य समझा जाना चाहिए जहां मांग पति की मौनानुकूलता या उपमति से की जाती है।[5]

---

1. पूर्वगामी पैरा 2.4 ।
2. पूर्वगामी पैरा 2.7 ।
3. पूर्वगामी पैरा 3.2 ।
4. पूर्वगामी परा 3.3 ।
5. पूर्वगामी पैरा 4.1 और 4.5 ।

(6) ऊपर जिन उपबन्धों की सिफारिश की गई है उनके प्रयोजन के लिए, "दहेज़" की परिभाषा यह होनी चाहिए कि उससे अभिप्रेत है ऐसा धन या धन के रूप में प्राक्कलनीय अन्य वस्तु जिसकी मांग पत्नी या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों से, पति या उसके माता-पिता या अन्य नातेदारों द्वारा की गई है और जहां ऐसी मांग किसी विधितः मान्य दावे से उचित रूप से संबंधित नहीं है और उसका संबंध पत्नी द्वारा पति के परिवार में विवाह किए जाने से ही है।[1]

(के० के० मैथ्यू), अध्यक्ष

ह०/–

(के० के० मैथ्यू)

(नसीरुल्लाह बेग) सदस्य

जो संशोधन सुझाए गए हैं वे मेरे विचार से बहुत मामूली हैं और पर्याप्त रूप से कड़े नहीं हैं।

ह०/–

(नसीरुल्लाह बेग) 10-8-83

(जे० पी० चतुर्वेदी) सदस्य

ह०/–

(जे० पी० चतुर्वेदी)

(पी० एम० बक्षी) अंशकालिक सदस्य

ह०/–

(पी० एम० बक्षी)

(वेपा पी० सारथी) अंशकालिक सदस्य

ह०/–

(वेपा पी० सारथी)

(ए० के० श्रीनिवासमूर्ति) सदस्य-सचिव

ह०/–

(ए० के० श्रीनिवासमूर्ति)

सदस्य-सचिव

तारीख : 10 अगस्त, 1983

---

1. पूर्वगामी पैरा 4.9।

83- 4/P(N)863MofLJ&CA—250—11-10-84—GIPS